

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
बिहार, पटना

अधिघोषणा

तारीख:- .....2012

सं० ..... आर०

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव-पिरौंटा, थाना-64, परगना-कुटुम्बा, थाना-नवीनगर, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी०आर०बी०सी०एल०) के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव पिरौंटा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश जो 1.845 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

अधिकृत खेसरा सं०- अंश- 7, 18, 19, 27, 192, 193, 198, 199, 204, 267, 337, 364.

उत्तर:- खेसरा सं० ग्राम सिवाना एकधरा, 197, 194, 201, 198, 266, 338, 362, 376.

दक्षिण:- खेसरा सं० 6, 26, 201, 197, 210, 198, 209, 266, 336, 366, 387.

पूरब:- खेसरा सं० 14, 28, 197, 196, 211, 198, 266, 323, 365, 372.

पश्चिम:- खेसरा सं० 1, 25, ग्राम सिवाना सलेया, 181, 201, 200, 266, 341, 368, 380.

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे, यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1894 को धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।



बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह० / -  
सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०३०